रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1319] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 11, 2011/आषाढ़ 20, 1933
No. 1319] NEW DELHI, MONDAY, JULY 11, 2011/ASADHA 20, 1933

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जुलाई, 2011

का.आ. 1588(अ).—भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 465(अ), तारीख 26 अप्रैल, 2002 द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 7 के 400.544 कि.मी. से 651.500 कि.मी. तक (लखनादौन-सिवनी-मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सीमा) को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) को सौंपा था;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचित करती है कि मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के 567.55 कि.मी. - 624.48 कि.मी. के लखनादौन-महगांव खण्ड जिसमें 13.30 कि.मी. का सिवनी बाईपास सम्मिलित है, जिसकी लागत लगभग नब्बे करोड़ रुपये है, के उपयोग के लिए इससे उपाबद्ध सारणी में विनिर्दिष्ट प्रकार के यांत्रिक यानों पर, आधार दर पर फीस उद्गृहीत और संगृहीत की जाएगी और वह प्राधिकरण को अपने पदधारियों या किसी ठेकेदार के माध्यम से उक्त फीस का संग्रहण करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात् :—

सारणी

क्रम संख्या	यान का प्रकार	प्रति कि.मी. फीस की आधार दर (रुपये में)
(1)	(2)	(3)
1.	कार, जीप, वैन या हल्के मोटर यान	0.65
2.	हल्के वाणिज्यिक यान, हल्के मालयान या मिनी बस	1.05
3.	बस या ट्रक (दो धुरी)	2.20
4.	तीन धुरी वाले वाणिज्यिक यान	2.40
5.	भारी निर्माण मशीनरी (भा नि म) या अर्थमूविंग उपकरण (अ मू उ) अथवा बहुधुरी यान (एमएवी)(चार से छह धुरी तक)	3.45
6.	बड़े आकार के यान (सात अथवा अधिक धुरी वाले)	4.20

टिप्पणियां :—

1. स्थानीय वैयक्तिक यातायात के लिए वर्ष 2007-08 के लिए मासिक पास की दर एक सौ पचास रुपये है ।

2. इसके अधीन उद्गृहीत और संगृहीत फीस ऐसे पथकर प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट दूरी के लिए निम्नलिखित पथकर प्लाजा पर शोध्य और संदेय होगी :

पथकर प्लाजा का अवस्थान (चेनेज)	लंबाई (कि.मी.में) जिसके लिए फीस संदेय है
मध्य प्रदेश राज्य में जिला सिवनी में अलोनिया गाँव के निकट 584.500 कि.मी.	43.63 कि.मी.

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, दस करोड़ रुपये अथवा इससे अधिक लागत वाले बाईपास (बाईपासों) का उपयोग करने के लिए निम्नलिखित टोल प्लाजा (टोल प्लाजाओं) पर ऐसे टोल प्लाजा (टोल प्लाजाओं) पर बाईपास (बाईपासों) की विनिर्दिष्ट लम्बाई हेतु आधार दर का डेढ़ गुना फीस शोध्य और संदेय होगी ।

पथकर प्लाजा का अवस्थान (चेनेज)	बाईपास की लंबाई (कि.मी. में) जिसके लिए अतिरिक्त फीस संदेय है
मध्य प्रदेश राज्य में जिला सीओनी, अलोनिया गाँव के निकट कि.मी. 584.500	13.30 कि.मी.

[फा. सं. भाराराप्रा/13013/453/सीओ/10-11/जीसी-सिवनी (लखनादौन-सिवनी महगाँव)]

बी. बी. महापात्र, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th July, 2011

S.O. 1588(E).—Whereas, by notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 465 (E), dated the 26th April, 2002, issued under Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretches from km. 400.544 - km 651.500 (Lakhnadon-Seoni-Madyhya Pradesh and Maharashtra Border) of National Highway No. 7 in the State of Madhya Pradesh to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the Authority);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, the Central Government hereby notifies that there shall be levied and collected fees at the base rate on the mechanical vehicles specified in the Table annexed herewith, for the use of the four lane Lakhnadon - Mahagaon section from km 567.55 - km 624.48 including Seoni Bypass of 13.30 km approximate cost of which is Rs. 90 crores on National Highway No. 7 in the State of Madhya Pradesh and authorizes the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely :—

TABLE

S. No.	Types of vehicle	Base rate of fee per km (in rupees)
(1)	(2)	(3)
1.	Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
2.	Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
3.	Bus or Truck (Two Axles)	2.20
4.	Three Axle Commercial Vehicles	2.40
5.	Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (Four to six axles)	3.45
6.	Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

Notes :—

1. The rate of monthly pass for local personal traffic is Rs. 150.00 (One Hundred Fifty Rupees) for the year 2007-08.

2. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following toll plaza for net length specified for such Toll Plaza :—

Location of Toll Plaza (Chaniage)	Length (in km) for which Fee is payable
Km. 584.500, near village Allonia in Seoni District of Madhya Pradesh	43.63

3. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following bypass(es) costing Rs. 10 crore or more at the following Toll Plaza(s) at one and half times the base rate for the length of Bypass(es) specified for such Toll Plaza(s) :

Location of Toll Plaza (Chaniage)	Length of Bypass (in km) for which additional Fee is payable
Km. 584.500, near village Allonia in Seoni District of Madhya Pradesh	13.30

[F. No. NHAI/ 13013/453/CO.10-11/GC-Seoni (Lakhnadon-Seoni-Mohgaon)]

B. B. MOHAPATRA, Director

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.